संख्या- 3 / 2017/290 /71-आयुष-2-2017-221/2016

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 28 मार्च, 2017

विषय:- उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु आमंत्रित अल्पकालिक ई-निविदा में प्राप्त एल-1 के आधार पर औषधियों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-391/मि0नि0/43/2016-17, दिनॉक 26-10-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु शासन के शासनादेश संख्या-2713/71/आयुष-2-2016-221-2916, दिनॉक 02-02-2017 द्वारा आयुष मिशन के अन्तर्गत होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु एक केन्द्रीय क्रय समिति का गठन किया गया। केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक दिनॉक 10-02-2017 को सम्पन्न हुई। केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु ई-निविदा में प्राप्त प्रति ईकाई न्यूनतम दर(प्रति संलग्न) के अनुसार मे0 केरला स्टेट होम्योपैथिक कोआपरेटिव फार्मेसी लिमिटेड से 175 तथा गोवा एण्टीवायोटिक्स एण्ड फार्माक्यूटिकल्स लि0 से 32 जो एल-1 है, से औषधियो के क्रय हेतु संस्तुति की गयी। समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर होम्योपैथिक औषधियों को नियमानुसार क्रय करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या:- 3/2017/290 (1)/71-आयुष-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in